न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/85/2019	05–09–2019	09–01–2020

01– बत्तू पुत्र लीलाराम

02– नरेन्द्र पुत्र लीलाराम

03– दौलतराम पुत्र गिरवर कौम मीना निवासी ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

01– तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर राज।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर
दिनांक 28.08.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 08/2019

उपस्थितः—

01—श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलाण्ट्स

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 28.08.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रोनीजाथान की सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.44 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रोनीजाथान की सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.44 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 08.07.2019 को पटवारी द्वारा अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अनुसार पत्रावली का निस्तारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट मय स्थगन आदेश दिनांक 05.09.2019 खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09—01—2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/01/2020

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)